समक्ष न्यायालय श्रीमान मध्य प्रदेश राजस्व मडंल ग्वालियर
केम्प न्यायालय जबलपुर म. प्र.

पुनरीक्षण याचिका क. /2018
निगरानी-6265/2018/जबलपुर/भू.रा.

आवेदक / याचिकाकर्ता : भीकम लाल लोधी
पिता स्व. गुल्ली लाल लोधी
निवासी 956 संजीवनी नगर गढा
जबलपुर म.प्र.

विरूद्व

अनावेदक : म.प्र. शासन जबलपुर

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.राजस्व संहिता

आवेदक निम्नानुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :-

आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 44 2 भू. रा.सं. के तहत अपील क्रं. 906/17 18 प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दि. 11.09.2018 को उक्त अपील निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। आदेश की प्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ याचिका के साथ सलग्न है। जिसका पुनरीक्षण आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारो पर प्रस्तुत कर रहा है ।

याचिका के तथ्य

1. यह कि आवेदक मौजा कछपुरा नं.ब. 501 प.ह.नं. 25 खसरा नं. 144/2, 144/3. तह. व जिला जबलपुर की भूमि का मालिक स्वामी एवं कब्जेदार है, उक्त भुमि को म.प्र. शासन द्वारा नगर भुमि सीमा अधिनियम के अंतर्गत सीलिंग प्रभावित धोषित कर अधिग्रहित कर लिया गया है ।
2. यह कि अर्बन सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत अन्य किसान सोसायटियों ने माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रं 1880/2015 प्रस्तुत की थी, जिसके आदेश/निर्देश के आधार पर आवेदक द्वारा विद्वान अधीनस्त न्यायालय कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा के सक्षम प्रकरण प्रस्तुत किया था ।
3. यह कि विद्वान अधीनस्त न्यायालय कलेक्टर महोदय द्वारा आवेदक के उक्त प्रकरण को सूक्ष्मता से अध्ययन न कर आवेदक द्वारा प्रस्तुत पकरण दिनांक 26.12.17 को निरस्त कर दिया गया । आदेश की छायाप्रति माननीय न्यायालय के अवलोकनार्थ याचिका के साथ सलग्न है ।

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P 19/2014/21 B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–जबलपुर/भू0रा0/2018/6265

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11-12-18	प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत। अवलोकन किया गया। यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्र०क्र० 906/17–18 अपील में पारित आदेश दिनांक 11–9–18 के विरूद्ध म०प्र० भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। २/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर विचार करने अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के आदेश दिनांक 11–9–18 के अवलोकन से परिलक्षित है कि कलेक्टर एंव सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा जिला जबलपुर (मूल न्यायालय) व्दारा पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई है। **हैं।** भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 एंव 44 मे दी गई व्यवस्था अनुसार प्रथम अपील में पारित अंतिम आदेश के विरूद्ध निगरानी अग्राह्य है। निगरानी ग्राह्य योग्य एंव प्रचलन-योग्य न होने से अमान्य की जाती है। सदस्य	